

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/ 6826

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 18.08.25

प्रार्थी
1 देवीसिंह पुत्र
पूनमसिंह जाति राजपुत
निवासी वांकलपुरा
महाबार तहसील
बाडमेर जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 आसूसिंह पुत्र खीमसिंह 2 चम्पाकंवर पत्नी
खीमसिंह 3 नखतसिंह 4 बाबूसिंह 5 हरीसिंह पिसरान
पूरसिंह 6 टीलसिंह पुत्र जबरसिंह 7 भीखों पत्नी
जबरसिंह 8 सुरतानसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपुत
निवासी करनपुरा महाबार तहसील व जिला बाडमेर 9
उदा पुत्र मंगला 10 गुणेशा पुत्र धीरामा 11 टाऊराम
पुत्र नीम्बा 12 नारणा पुत्र धीरा 13 बगता पुत्र मंगला
14 भारमलराम पुत्र नीम्बा 15 रूपा पुत्र मंगला 16
राणीदेवी पत्नी नीम्बा 17 रावताराम पुत्र नीम्बा 18
सुगणी पत्नी भीमा 19 हमीरा पुत्र हिमता जाति भांभी
निवासी करनपुरा महाबार तहसील व जिला बाडमेर
20 बाबूराम पुत्र मानाराम जाति गरुडा निवासी
करनपुरा महाबार तहसील व जिला बाडमेर 21
तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 460/2025

दिनांक- 07/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा करनपुरा पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा
संख्या 267 रकबा 10.0928 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2330/304 रकबा 6.8230 हैक्टेयर, भूमि के
चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खबाडमेर अधिकारी

दिनांक- 18.08.25 बाडमेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6827-30

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी देवीसिंह पुत्र पूनमसिंह जाति राजपुत निवासी वांकलपुरा महाबार तहसील बाडमेर जिला
बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण आसूसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत निवासी करनपुरा महाबार तहसील व जिला
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी,
उप खबाडमेर अधिकारी
बाडमेर